पत्रांक 4421 /आयु0 कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/12–13/वाणिज्य कर/दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक:: 23 जनवरी, 2013

–::विज्ञप्ति::–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के नियम–30 के उपनियम–13 के अन्तर्गत इस कार्यालय की निम्न विज्ञप्तियों द्वारा सीरीज U.K.VAT-K2010 के **"आयात के लिए घोषणा पत्र"** (प्ररूप–16) को विज्ञप्ति की तिथि से अग्रिम आदेशों तक प्रचलन में लाये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिनका विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–16) की सीरीज	प्रचलन में लाये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति का विवरण		प्रचलन में लाये गये आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–16) की क्रम संख्या	
		संख्या	दिनांक	कहाँ से	कहाँ तक
1	U.K.VAT-K2010	4942	03–03–2011	0000001	1500000
		183	18–04–2011	1500001	2500000

अतः उक्त सीरीज के **"आयात के लिए घोषणा पत्र"** (प्ररूप–16) दिनांक 20–02–2013 तक प्रचलन में बने रहेंगे और राज्य की जाँच चौकियों पर दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि तक स्वीकार किये जायेंगे तथा दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि के बाद इनका प्रचलन अवैध माना जायेगा।

समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उनके कार्यालय में उपर्युक्त आयात के लिए घोषणा पत्र(प्ररूप–16) का स्टॉक अवशेष है तो वे इन सीरीज के फार्म–16 को दिनांक 31–01–2013 तक ही व्यापारियों को वितरित करेंगे।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4421 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आश्य से प्रेषित कि कृपया इसे उत्तराखण्ड गजट(साधारण) में प्रकासित कराने का कष्ट करें।

3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4– ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ करवाकर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/व्यापार संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0)वाणिज्य कर, गढवाल जोन, हरिद्वार एवं कुमाऊँ जोन रूद्रपुर को इस निदेश के साथ कि इस विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ करवाकर अपने अधिनस्थ अधिकारियों, वि0अनु0शा0/प्रवर्तन इकाईयों/सचल दल इकाईयों/समस्त जाँच चौकियों, को तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–3 वाणिज्य कर, देहरादून/web. information officer NIC को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

7– ऑल इण्डिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, 16–ए, आसिफ अली रोड़, नई दिल्ली।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 4887/आयु0कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/वाणिज्य कर/दे0दून

कार्यालय–आयुक्तकर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक::20 फरवरी, 2013

अनुभाग अधिकारी
आई0टी0–अनुभाग, मुख्यालय।

कृपया मुख्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4421 दिनांक 23–01–2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है, जिसमें ''आयात के लिए घोषणा पत्र'' (प्ररूप–16) सीरीज U.K.VAT-K2010 का प्रचलन दिनांक 20–02–2013 की मध्य रात्रि के बाद अवैध घोषित किया गया है।

दिनांक 01–03–2013 से राज्य की सीमाओं पर स्थित विभाग की जॉच चौकियों की समाप्ति के पश्चात नई व्यवस्था के अन्तर्गत सचलदल इकाईयॉ अस्तित्व में आ जायेंगी तथा आयातकर्ता को फार्म–16 में घोषित किये गये आयातित माल की घोषणा ट्रिपशीट के माध्यम से विभागीय बैवसाईट पर ऑनलाईन करनी होगी। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सीरीज के फार्मों के दुरूपयोग को रोकने के लिए विभागीय बैवसाईट पर इस सीरीज U.K.VAT-K2010 को आज दिनांक 20–02–2013 की रात्रि 12 बजे के उपरान्त लॉक(बन्द) किया जाना है।

अतः उक्त सीरीज U.K.VAT-K2010 (प्ररूप–16) के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से इस सीरीज को लॉक(बन्द) कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार।</u>

20/2/2013
(आई0एस0बृजवाल)
एडीषनल कमिश्नर(प्रवर्तन)वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।